विशेष न्यायालय डी.ए.ए./ई०सी० एक्ट/एम०पी०/एम०एल०ए०मैनपुरी।

UPMP010007752026
RAKESH PATEL, J.O.No- UP06335
Bail Application/319/2026

सतीश चन्द्र पुत्र जोधाराम निवासी मोहल्ला जगतनगर भोगॉव थाना भोगॉव जिला मैनपुरी।

––अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश –– विपक्षी।

दिनांक 18.03.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र जोधाराम निवासी मोहल्ला जगत नगर भोगॉव थाना भोगॉव जिला मैनपुरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 48/2026 अन्तर्गत धारा 318(2),338,336(3),340(2),3(5)BNS व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना कुरावली जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त दिनांक 13.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल दिया गया और कहा गया कि प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थना–पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी न्यायालय में या माननीय अपीलीय न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी को सह अभियुक्त अंकित यादव ने गुमराह करके प्रार्थी के पुत्र सतेन्द्र से मु० 20,00,000/–रूपये वायों डीजल पम्प लगाने के लिए लिये थे और सारी जिम्मेदारी अंकित यादव ने ली थी। प्रार्थी नामजद एफ.आई.आर. नहीं है। प्रार्थी को सह–अभियुक्त अंकित यादव ने षडयंत्र के तहत झूॅठा फंसाया है। थाना हाजा की पुलिस प्रार्थी को घर से दिनांक 10.02.2026 को पूॅछताॅछ करने के बहाने लायी थी और तीन दिन थाना में रखने के बाद दिनांक 13.02.2026 को चालान कर दिया। प्रार्थी ने कोई कूटरचित दस्तावेज नहीं तैयार किया है और न ही इसकी कोई जानकारी है। प्राथी सरकारी कर्मचारी रहा है और सेवा काल में ईमानदार व्यक्ति रहा है। प्रार्थी वर्तमान में 76 वर्ष का वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है तथा दिनांक 13.02.2026 से जिला जेल में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

3– अभियोजन की ओर से दौरान बहस जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा गया कि दिनांक 09.02.2026 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सनत कुमार मय हमराहियान का० वेदपाल सिंह, का० दीपक धामा, का० मनोज कुमार मय सरकारी जीप के थाना क्षेत्र कुरावली में मामूर थे तभी जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में थाना एका में पकडे गये फर्जी पेट्रोल पम्प खुलवाने वाला राधेश्याम ग्राम सलेमपुर तहसील कुरावली स्थित पेट्रोल पम्प पर अन्य फर्जी पेट्रोल पम्प खुलवाने के लिए आया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके ग्राम सलेमपुर स्थित आई.बी.पी. फिलिंग स्टेशन तहसील कुरावली पहुँचने से कुछ पहले ही वाहन को रोककर थाना प्रभारी कुरावली, पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जरिए दूरभाष अवगत कराते हुए मौके पर पहुॅचने का अनुरोध किया गया, कुछ देर बाद पूर्ति विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री जाकिर हुसैन व पूर्ति निरीक्षक कुरावली अदिति चौहान मौके पर आ गए। पेट्रोल पम्प पर मौजूद दोनों लोगों को एक बारगी दबिश देकर समय 19:00 बजे पकड लिया गया। अभियुक्त राधेश्याम की जामा तलाशी से पहले पेंट की दाहिनी जेब से एक मोबाइल फोन सैमसंग ए–23 तथा पीछे की जेब से एक पैनकार्ड, एक आधार कार्ड, एक स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, मु० 1700/–रूपये नकद तथा दो अदद मोहर Anchan Petrolium Limited की बरामद हुई। एक अन्य कूटरचित आधार कार्ड जिस पर रमेश कुमार पुत्र हरिदत्त निवासी म०न० 121 प्रताप नगर शाहगंज आगरा लिखा हुआ बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त अंकित यादव की जामा तलाशी से पेंट की बॉयी जेब से एक अदद मोबाइल फोन टेक्नो स्पार्क, मु० 2700/–रूपये नकद, एक पैन कार्ड तथा पहचान पत्र IDL1744101 बरामद हुए। अंकित ने पूछतॉछ में बताया कि हमारा पेट्रोल पम्प आई.बी.पी. फिलिंग स्टेशन ग्राम सलेमपुर है, जो कि आई.बी.पी. पैट्रोलियम प्रा० लि० अवागढ जनपद एटा द्वारा अनुबन्धित है। मेरे द्वारा बायों डीजल पम्प संचालन के लिए परियोजना प्रभारी यू.पी. नेडा फिरोजाबाद कार्यालय में आवेदन किया गया था परन्तु मुझे अभी तक पम्प संचालन के लिए यू.पी. नेडा फिरोजाबाद द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गयी और न ही अन्य किसी सम्बन्धित विभाग से भी अनुमति प्राप्त की गयी है। पम्प से ग्राहकों को डिस्पेन्सिंग यूनिट के माध्यम से डीजल व पेट्रोल विगत वर्ष 2020 से वितरित कर रहा हूॅ। मेरे पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल का टैंक 4000 लीटर तथा डीजल का टैंक 5000 लीटर क्षमता का है। अभी इनमें किना पेट्रोल व डीजल शेष है, मुझे नहीं पता है। आई.बी.पी. कम्पनी का गौरव फर्नश आयल में केमिकल मिलाकर डीजल व पैट्रोल तैयार करता है तथा हमलोगों को बेंचने के लिए देता है। आई.बी.पी. कम्पनी द्वारा ही बायो डीजल व पेट्रोल बेंचने हेतु मशीन, टैंक इत्यादि पेट्रोल पम्प पर प्रयोग होने वाले सभी उपकरण उपलब्ध कराए थे तथा हमें पेट्रोल पम्प चलाने की LOI बनाकर दी थी। आगे पूॅछतॉछ पर गिरफ्तार अंकित ने बताया कि यह पेट्रोल पम्प मेरे नाम पर है परन्तु फायर व अन्य विभागों से अनुमति प्राप्त

किये बिना इसका संचालन मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। यू.पी. नेडा की शर्तों के अनुसार बाये डीजल की सप्लाई करने की जिम्मेंदारी भी LOI प्रदाता कम्पनी की होती है परन्तु इन कम्पनियों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न पेंट एवं कैमिकल कम्पनियों से MHO एवं फर्नश आयल आदि को मिलाकर नकली डीजल व पैट्रोल आदि तैयार करके इन पैट्रोल पम्पों पर बेंचने का कार्य किया जा रहा है। अंकित के कार्यालय पर मौजूद अभिलेखों की जांच की गयी तो उसकी मेज की रेक से एच.बी.पी. पेट्रोलियम परा० लि० का पैन कार्ड, जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा जांच हेतु प्रेषित विभिन्न सरकारी कार्यालयों से अपने स्तर से जांच हेतु पत्र, LOI, IBP BIO FUEL INDIA Pvt. Ltd से सम्बन्धित दस्तावेज पैन कार्ड तथा GST 09AFCI41159L1Z4, IBP BIO FUEL INDIA Pvt. Ltd कम्पनी द्वारा जारी LOI सतेन्द्र पाल सिंह, अंकित यादव का आधार कार्ड की छायाप्रति, हिन्दुस्तान बायों फ्यूल इण्डिया प्राा० लि० का फाईल कबर, HBP PETROLIUM Pvt Ltd का फाईल कवर, एग्रीमेंट लेटर HBP PETROLIUM Pvt Ltd बरामद हुए। राधेश्याम सिंह द्वारा पूँछतॉछ पर बताया कि मेरे द्वारा अंचन पेट्रोलियम प्रा० लि० की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। इस कम्पनी का पता दिल्ली में फर्जी रूप से दर्शाया हुआ है जिससे कोई हम तक न पहुॅच सके। इसलिए मैंने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा अंचन रिफाइनरी प्रा. लि. नामक कम्पनी बनायी हुई है। मेरे द्वारा अंचन पेट्रोलियम प्रा० लि० के माध्यम से खुलवाया जा रहा है। अभियुक्तगण का यह कृत्य उ०प्र० हाई स्पीड डीजल आयल एण्ड लाईट डीजल आयल (Maintenance of supplies and distribution) order -1981 तथा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 में निहित प्रावधानों का उलंघन है। अभियुक्तगण द्वारा बिना वैध प्राधिकार के केमिकल से पेट्रोल व डीजल बनाकर ग्राहकों के साथ छल करके उनको नकली व मिलावटी तेल देकर उनको आर्थिक नुकसान पहुॅचाया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना परिवहन कर रहे है। ऐसे कृत्य से मानव जीवन पर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। मौजूद पेट्रोल को पम्प मशीन से एक लीटर की Sample Box में भरकर बोतलों में भरकर सीलकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। पेट्रोल टैंक को सील किया गया।

4- उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त का नाम सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्तगण अंकित यादव द्वारा लिया जाना दर्शित हो रहा है। अंकित यादव द्वारा अपनी कम्पनी के माध्यम से जस्सी फिलिंग स्टेशन जिसके स्वामी अभियुक्त सतेन्द्र है, लगवाए जाने का तथ्य दर्शित हो रहा है। केस डायरी के पर्चा न० 3 पर विवेचक द्वारा अभियुक्त का बयान अंकित किया गया है। जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में

स्वंय की घटना में भूमिका के बावत अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है। विवेचक द्वारा पूँछे गये प्रश्न कि आपने पेट्रोल पम्प के लिए आवेदन किस प्रकार किया गया था? बरामद डीजल को आपने किस कम्पनी से खरीदा था? क्या आपको जानकारी है कि पेट्रोल पम्प संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों से एन.ओ.सी. प्राप्त करना आवश्यक होता है? का अभियुक्त द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है और अनभिज्ञता प्रकट की गयी है। अभियुक्त द्वारा वायो पेट्रोल पम्प लगवाये जाने तथा बायो डीजल–पेट्रोल के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञप्ति दाखिल नहीं की गयी है।

यह तथ्य निर्विवादित है कि जस्सी पेट्रोल पम्प का स्वामी अभियुक्त है। उसके पास पेट्रोल पम्प लगवाये जाने एवं वायो डीजल पेट्रोल के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। अभियुक्त की ओर से दौरान बहस जस्सी पेट्रोल पम्प को बन्द होने का तथ्य अभिकथित किया गया किन्तु इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि पेट्रोल पम्प के टैंक में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3,000 (तीन हजार) लीटर डीजल रखा गया था। सह–अभियुक्तगण अंकित यादव तथा राधेश्याम का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुका है। अभियुक्त की घटना में भूमिका सह–अभियुक्त अंकित यादव के समान होना प्रतीत होता है। मामले की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर है। अपराध की प्रकृति गम्भीरता, दण्ड की तीव्रता तथा मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में आधार जमानत पर्याप्त होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र जमानत निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सतीश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 18.03.2026

(राकेश पटेल)
विशेष न्यायाधीश डी.ए.ए./ई.सी.एक्ट
मैनपुरी।

RAKESH PATEL
Digitally signed by RAKESH PATEL
Date: 2026.03.18 15:29:09 +0530